HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 16828/2026
CNR: RJHC021027962026 | URN: CRLMB / 31055U / 2026

Ashok Kumar Yadav @ Ashok Dagar S/o Kalluram, Aged About 23 Years, R/o Nada Ki Dhani, Village Chak Manoharpur Police Station Chandwaji, District Jaipur (Presently Confined In Central Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Swapnil Singh Patel, Adv. Mr. Anish Bhadala, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **बी.एन.एस.एस. की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **शिप्रापथ, जयपुर शहर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**82/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 308(2) 189(2) बी एन एस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है, किसी भी व्यक्ति के कोई चोट कारित नहीं हुई है, परिवादी सहित प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान हो चुके हैं, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.02
10:53:00 IST

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी पक्ष की हत्या कारित करने के आशय से फायर करने का आरोप है, निशाना चूक जाने से किसी भी आहत के कोई चोट कारित नहीं हुई है।

यद्यपि अभियुक्त का पांच आपराधिक प्रकरणों का रिकोर्ड है, लेकिन प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक कुमार यादव उर्फ अशोक डागर पुत्र कालूराम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

158/Murari Lal Sharma